



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in

e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)



हमारे प्रेरणा पुंज: पं० जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना
मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप
में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

श्री इकराम राजस्थानी
सलाहकार, मो. 98290-78682
पाराशर नारायण शर्मा
अध्यक्ष, मो. 94133-89665
राम निरंजन गौड़
महासचिव, मो. 94144-08499
ललित चाचाण
कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

**प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं
पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-**

जयपुर
योगेन्द्र राठौड़
(मुख्य लेखाधिकारी)
मो. 9166494225
अजमेर

एन. के. झामड़
(अधिशायी अभियन्ता)
मो. 9414008416
बीकानेर

कैप्टन गुरुविन्दर सिंह
(एडवोकेट उच्च न्यायलय)
मो. 9314142509
भरतपुर

हेमराज गोयल
(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)
मो. 9460926850
जोधपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़
(पूर्व आर.ए.एस)
मो. 9414085447
कोटा

अजय चतुर्वेदी
(अधिशायी अभियन्ता)
मो. 9413385665
उदयपुर

दूल्हा सिंह चूडावत, एडवोकेट
(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)
मो. 9571875488

जे.एस. राजावत
संरक्षक : समता ज्योति (मासिक -पत्र)
मो. 9314962106

टार्गेट-2015
आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण

क्रमांक 18639

दिनांक : 12.11.12

माननीया श्रीमती मार्ग्रेट अल्वा जी,
महामहिम राज्यपाल महोदया,
राजभवन, राजस्थान, जयपुर ।

विषय:-शिकायत विरुद्ध श्री हरीश चन्द मीणा, महानिदेशक, पुलिस, राजस्थान
संदर्भ:-राजस्थान पुलिस सेवा एवं पुलिस विभाग में अधीनस्थ पदों की डी.पी.सी.
में जातीय आधार पर प्रशासनिक अधिकारों का दुरुपयोग ।

महोदया,

विनयपूर्वक निवेदन है कि राजस्थान पुलिस विभाग में महानिदेशक पद पर पदस्थापित श्री हरीश चन्द मीणा द्वारा जातिगत आधार पर प्रशासनिक अधिकारों के दुरुपयोग की सूचनाएँ अब लगातार आ रही हैं जिससे पूरे पुलिस विभाग में एक जाति विशेष का आतंक छाया हुआ है और शेष सभी जाति विरादरी के अधिकारीगण बेहद भयाक्रान्त व अपमानजनक स्थिति में काम कर रहे हैं ।

अभी ताजा उदाहरण राजस्थान पुलिस सेवा की डी.पी.सी. का है जिसमें श्रीमान हरीश मीणा साहब अपने प्रभाव का अविधिक इस्तेमाल करते हुए राजकीय नियमानुसार भी पदोन्नतियों नहीं होने दे रहे हैं । उनके द्वारा नियमों को असंवैधानिक रूप से बदलवाने के दबाव की जानकारियाँ सर्वविदित होती जा रही हैं जिससे पूरे राजस्थान प्रदेश में राज्य सरकार की छवि एक जाति विशेष की बन्धक सरकार के रूप में बनती जा रही है जो एक बेहद खतरनाक स्थिति है ।

अतः आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप व्यक्तिशः दखल देकर श्री हरीश मीणा साहब को राजस्थान पुलिस सेवा की डी.पी.सी. की सदस्यता से पृथक करवाने की कृपा करें तथा साथ ही इन्हे पुलिस विभाग के महानिदेशक पद से भी हटवाने या स्थानान्तरित करवाने की कृपा करें ताकि राज्य के अति महत्वपूर्ण पुलिस विभाग के लिए वांछित उच्च कोटि का मनोबल वापस बहाल हो सकें ।

सादर अभिवादन सहित ।

भवदीय,

(राम निरंजन गौड़)

महासचिव



समता आन्दोलन समिति (रजि.)

प्रान्तीय कार्यालय : 68, भारतेन्दु नगर, खातीपुरा, जयपुर

(पंजीकृत कार्यालय : 39, रामनगर-सी, झोटवाडा, जयपुर)

website : www.samtaandolan.co.in

e-mail : samtaandolan@yahoo.in

माननीय श्री पानाचन्द जैन
संरक्षक (पूर्व न्यायाधिपति)

माननीय श्री अमिताभ गुप्ता
संरक्षक (पूर्व पुलिस महानिदेशक)

माननीय श्री जे.एस. राठौड़
संरक्षक (पूर्व ब्रिगेडियर)

माननीय श्री भागीरथ शर्मा
संरक्षक (पूर्व आई.ए.एस)



हमारे प्रेरणा पुंज: पं० जवाहरलाल नेहरू
'जातिगत आरक्षण के रास्ते चलना
मूर्खता ही नहीं, विध्वंसकारी है।'
(27 जून 1961 को प्रधानमंत्री के रूप
में मुख्यमंत्रियों को लिखे पत्र से साभार)

क्रमांक 18640 - 44

दिनांक : 12/11/12

-2-

श्री इकराम राजस्थानी

सलाहकार, मो. 98290-78682

पाराशर नारायण शर्मा

अध्यक्ष, मो. 94133-89665

राम निरंजन गौड़

महासचिव, मो. 94144-08499

ललित चाचाण

कोषाध्यक्ष, मो. 94140-95368

प्रान्तीय उपाध्यक्ष एवं

पदेन सम्भागीय अध्यक्ष :-

जयपुर

योगेन्द्र राठौड़

(मुख्य लेखाधिकारी)

मो. 9166494225

अजमेर

एन. के. झामड़

(अधिकाधी अभियन्ता)

मो. 9414008416

बीकानेर

कैप्टन गुरुविन्दर सिंह

(एडवोकेट उच्च न्यायालय)

मो. 9314142509

भरतपुर

हेमराज गोयल

(सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियन्ता)

मो. 9460926850

जोधपुर

प्रहलाद सिंह राठौड़

(पूर्व आर.ए.एस)

मो. 9414085447

कोटा

अजय चतुर्वेदी

(अधिकाधी अभियन्ता)

मो. 9413385665

उदयपुर

दूल्हा सिंह चूडावत, एडवोकेट

(कार्य. प्रदेशाध्यक्ष- क्षत्रिय महासभा राज.)

मो. 9571875488

जे.एस. राजावत

संरक्षक : समता ज्योति (मासिक-पत्र)

मो. 9314962106

प्रतिलिपि सादर आवश्यक कार्यवाही हेतु सूचनार्थ प्रेषित है :-

1. श्रीमान सचिव महोदय, महामहिम राष्ट्रपति महोदय, भारत गणराज्य, नई दिल्ली ।
2. रजिस्ट्रार(प्रशासन), वास्ते मा० मुख्य न्यायाधीश महोदय, मा०सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ।
3. रजिस्ट्रार(प्रशासन), मा० मुख्य न्यायाधीश महोदय, मा० राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर ।
4. माननीय श्री सी. के. मैथ्यू साहब, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं
5. श्रीमान सूर्यशान सेठी, प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि आप यह भलीभाँति जानते हैं कि मौजूदा संवैधानिक प्रावधान, माननीय हाई कोर्ट एवं माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियमों के अधीन श्री हरीश मीणा जैसे जातिवादी अधिकारियों की अविधिक मनोकामना पूर्ति कतई संभव नहीं है फिर भी यदि आप द्वारा इनके दबाव में आकर कोई गलत नियम/आदेश का सहारा लेकर किसी अपात्र को अद्वैय लाभ दिये जाने का प्रयास किया जाता है या किसी पात्र को दैय लाभ से वंचित करके उसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया जाता है तो हमें मजबूर होकर आपके व्यक्तिगत नाम में फौजदारी कार्यवाही अमल में लानी होगी जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी । हमे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है हमारी राज्य सरकार किसी जाति विशेष की बंधक सरकार होने का आभास नहीं होने देगी ।

(राम निरंजन गौड़)

महासचिव

टार्गेट-2015

आरक्षण समाप्ति अभियान
द्वितीय चरण